I/21831/2023

Speed post /त्रिव डाक

Show-cause Notice/कारण बताओ नोटिस

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा ओद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: MCDR-MiFL0GEN/1/2023-AJM-IBM_RO_AJM   दिनांक: 13/12/2023

प्रेषित: खान एजेंट,
झामरकोटडा राक फास्फेट खान,
मेसर्स आर एस एम एम लिमिटेड,
पोस्ट: झामरकोटडा खदान, तहसील-तहसील-गिर्वा
जिला: उदयपुर (राजस्थान),
पिन: 313015.
(e-mail: minephos.rsmml@rajasthan.gov.in

विषय: राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित आपकी झामरकोटडा राक फास्फेट खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

इस कार्यालय के डा. ए. जेड. खान, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा दिनांक 22.11.2023 को किये गये उपरोक्त खान के निरिक्षण तथा वार्षिक रिटर्न के जांच के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधो का उल्लघंन पाया गया-

Rule	Status and extent of violation
45(7)	On examination of Annual Return for the year 2022-23 following discrepancies have been observed: (i) Part V(1) Exploration: Information regarding exploration activities & expenditure at the beginning of the year is not given. (ii) Part V(5) Overburden and Waste: Quantity of waste generated during the year is differs with the data provided during inspection. (iii) Part V(5) Tree planted-Survival rate: Information not given (iv) Part VII: The royalty, DMF & NMET amount is not in the line with the total amount of royalty, DMF & NMET given in Part-III(2) (v) Part VII: In the last table the production proposal for financial year 2022 – 2023 is not given.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवंविकास नियमावली , 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन कीअनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली , 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समाप्ति की सिफारिश की जा सकती है।

03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षणएवं विकास (संशोधन) नियम 2021 कि अनुसूची -2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार कीस्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 30 (तीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय कोसूचित करे।

05. कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ मे कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा ।

भवदीय

Signed by Chandresh Bohra
Date: 14-12-2023 13:43:54
Reason: Approved

(चन्द्रेश बोहरा)
उप खान नियंत्रक (प्रभारी)
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
4. रक्षित पत्रवली।

उप खान नियंत्रक (प्रभारी)
भारतीय खान ब्यूरो